भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 129512

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: [illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या– 76, 714
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.[illegible] हेक्टेयर
7.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
8.	बोरिंग/कुआं/अन्य	: नहीं
9.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 2,40,258/–
10.	मालियत	: रू0 1,11,512/–
11.	स्टाम्प	: रू0 24,300/–

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 429513

-2-

चौहद्दी

खसरा न० 78

पूरब	: खसरा संख्या-266
पश्चिम	: खसरा संख्या-77
उत्तर	: सीमा चक कंजहरा
दक्षिण	: खसरा संख्या-76, 79, 80

खसरा न० 114

पूरब	: खसरा संख्या-90
पश्चिम	: खसरा संख्या-116
उत्तर	: खसरा संख्या-113
दक्षिण	: खसरा संख्या-115

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 429514

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
परमेश्वर पुत्र छोटे, निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	सुरेश वर्मा पुत्र राम प्रसाद, निवासी–सिधुआ रामलीला, जिला हरदोई [illegible]। व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 429508

-4-

<u>विक्रय विलेख</u>

यह विक्रय विलेख परमेश्वर पुत्र छोटे, निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् सुरेश वर्मा पुत्र राम प्रसाद, निवासी–रिसुआ सण्डीला, जिला हरदोई, अवध जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–78 रकबा 0.139 हेक्टेअर, खसरा संख्या–114 रकबा 0.348 हेक्टेअर, इस प्रकार कुल दो

ह० परमेश्वर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जिसका कुल रकबा 0.487 हेक्टेअर का 1/6 भाग अर्थात अपना हिस्सा यानि 0.0811 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित पटवारिक खसरा खतौनी ग्राम संख्या 00487 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 | FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये | Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 405482

उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी व अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसर्पत [illegible] द्वारा किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 303487

विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 2,40,258/- (रुपया दो लाख चालिस हजार दो सौ अट्ठावन मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बतौर बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 309486

पर कब्जा क्रेता को मजबूती करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपनी एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे की सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगी। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगी एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 309425

स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व यदि अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम रसूलपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.0811 हेक्टेयर की मालियत रू0 1,11,513/-

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रू. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

483

होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 24,100/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है, इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्द्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 453775

परिशिष्ट : विक्रय विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–78 रकबा 0.139 हेक्टेअर, खसरा संख्या–114 रकबा 0.348 हेक्टेअर, इस प्रकार कुल दो किता कुल रकबा 0.487 हेक्टेअर का 1/6 भाग अर्थात अपना हिस्सा यानि 0.0811 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता को रु0 2,40,258/– (रुपया दो लाख चालिस हजार दो सौ अट्ठावन मात्र) द्वारा चेक संख्या– (28917) दिनांकित

बिक्रय पत्र

[illegible]	112,000.00	42,000.00	[illegible]	4,200.00	[illegible]
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	[illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी इटौंजा [illegible] लखनऊ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक [illegible] समय [illegible] बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

[illegible] शुक्ला
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून [illegible] प्रतिफल की धनराशि [illegible] प्राप्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती [illegible]
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी इटौंजा [illegible] लखनऊ

क्रेता
श्री/श्रीमती [illegible]
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

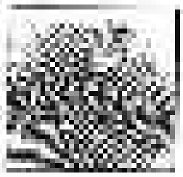

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी [illegible]
व [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी इटौंजा [illegible] लखनऊ
ने की।

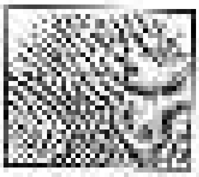

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

[illegible] शुक्ला
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

01.06.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 2,40,258/- (रुपया पाँच लाख सतहत्तर हजार पचास मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

नोटः पृष्ठ संख्या-13 पर पेज संख्या पेन से लिखी हुई है।

लखनऊ

दिनांकः 01.06.2007

गवाह [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्जार हुसैन)

एडवोकेट

[illegible]

Registration No. 3441 Year : 2017 Book No. : [illegible]

0101 पक्षकार

श्री

[illegible]

[illegible]

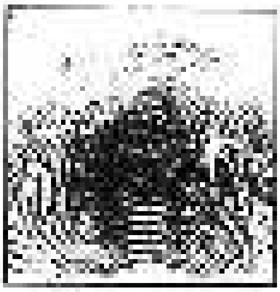

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा 32 (ए) के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिंट्स

[illegible]

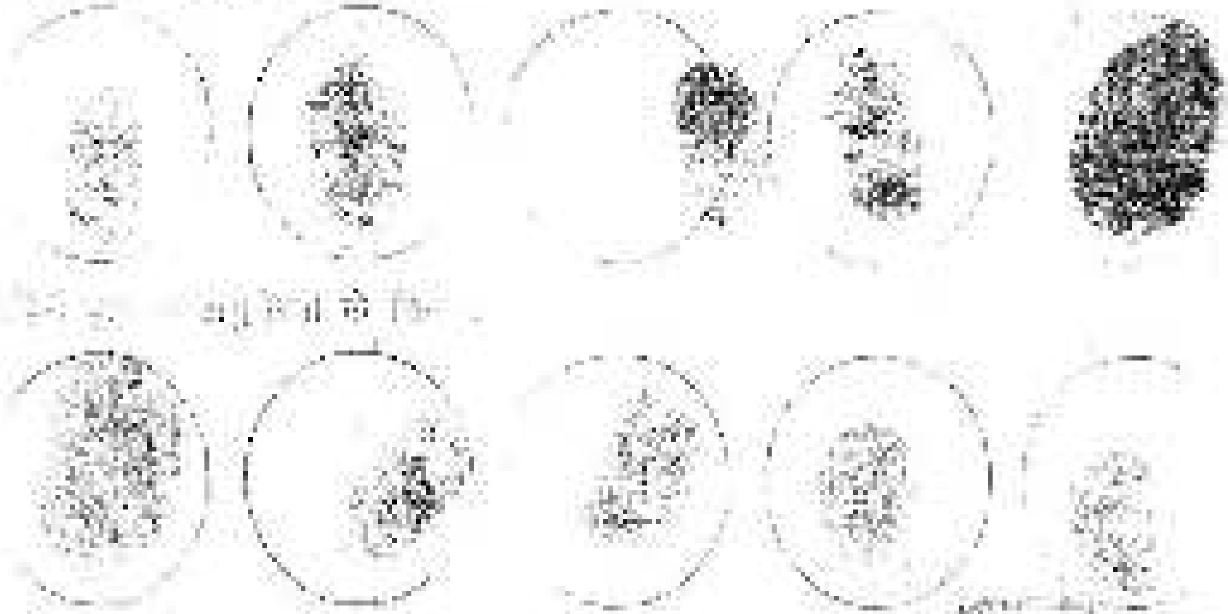

[illegible]

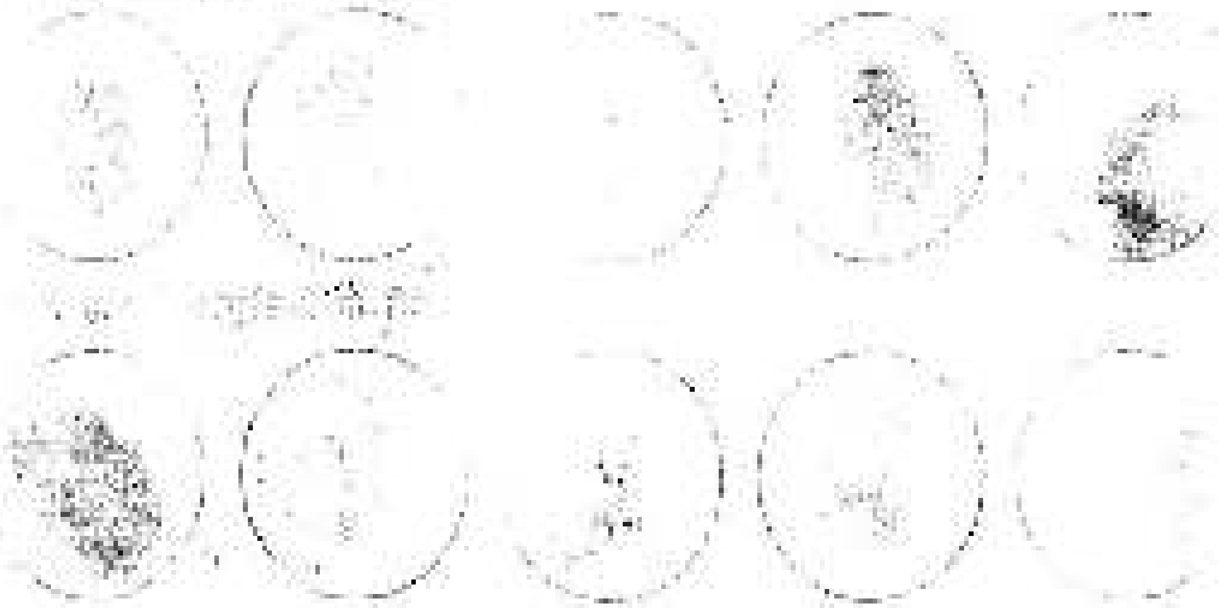

[illegible]

[illegible]

Registration No [illegible] Year [illegible] Book No 1

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

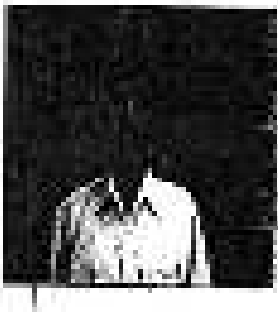

[illegible]

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या- 98, 114

जिला : [illegible]

क्षेत्र: [illegible]

[illegible]

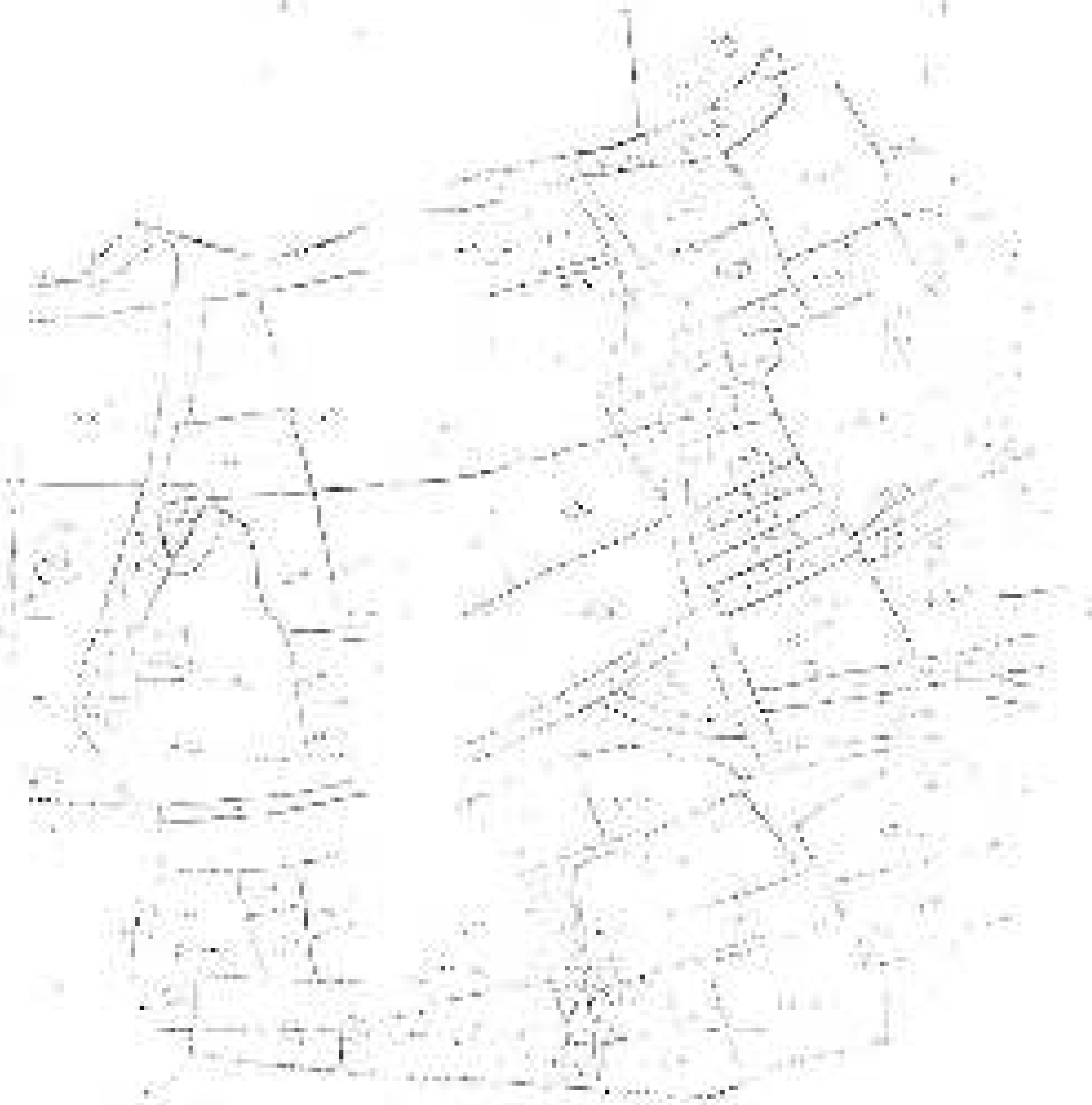

आज दिनांक 01/06/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8378

पृष्ठ सं 199 से 230 पर क्रमांक 5441

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबंधक (प्रथम)

[illegible]